दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
विनायक भवन, सी–ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर,
नई दिल्ली–110 017
वेबसाइटः www.derc.gov.in
टेलीफैक्सः+91-11-26673608, +91-11-41080417

वित्तवर्ष 2016–17 के सत्यापन और वित्तवर्ष 2018–19 के कुल राजस्व आवश्यकताओं से संबंधित टैरिफ याचिकाओं के लिए सार्वजनिक सूचना

1. आयोग ने प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 03/01/2018 को प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा दिल्ली बिजली वितरण कंपनियों (बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल) द्वारा वित्तवर्ष 2016–17 के व्ययों के सत्यापन और कुल राजस्व आवश्यकताओं एवं वित्तवर्ष 2018–19 के टैरिफ के अनुमोदन के लिए संबंधित दायर याचिकाओं पर हितधारकों से टिप्पणियों /सुझावों आमंत्रित की थी। टैरिफ याचिकाओं पर टिप्पणियों/सुझावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 31/01/2018 थी।

2. दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल) ने वित्तवर्ष 2016–17 के व्ययों के सत्यापन और कुल राजस्व आवश्यकताओं एवं वित्तवर्ष 2018–19 के टैरिफ के अनुमोदन के लिए संबंधित याचिका 24/01/2018 को दायर कर दी है, जिसे आयोग ने अपने दिनांक 25/01/2018 के आदेश के तहत स्वीकार किया है और डीईआरसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ।

3. आयोग ने आगे फैसला किया है किः

   a बीआरपीएल, बीईपीएल और टीपीडीडीएल के टैरिफ याचिकाओं पर हितधारकों से टिप्पणियों / सुझावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाए ; और

   b डीटीएल के टैरिफ याचिका पर हितधारकों से टिप्पणियों / सुझावों को आमंत्रित किया जाए ।

4. टिप्पणियां/सुझावों को डीईआरसी के सचिव को डाक या ईमेल पते secyderc@nic.in पर ई–मेल द्वारा 21/02/2018, अपराह्न 4:00 बजे तक भेजा सकता हैं।

5. टैरिफ याचिकाएं डीईआरसी की वेबसाइअट www.derc.gov.in पर उपलब्ध हैं।

ह./–
(सुरेंद्रा इडुपघंटी)
सचिव, डीईआरसी